



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत में अ0सं0- 139/2022 धारा- 2/3 गैंगस्टर में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जियालाल उर्फ श्रवण कुमार पुत्र कारेलाल नि0 ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष 06 माह के व ₹5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी सुशील कुमार  
त्रिपाठी



विवेचक-  
निरी0 श्री रामआसरे  
सरोज



पैरोकार- थाना ललपुरा  
हे0का0  
धर्मेन्द्र मिश्रा